कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी, मुजफ्फरनगर।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(1)(बी) के अन्तर्गत बनाये गये मैनुअल की सूचना

(i)	संगठन की विशिष्टियां, कृत्य और कर्त्तव्य–	जिला निर्वाचन अधिकारी, मुजफ्फरनगर कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश लखनऊ के अधीक्षण, नियन्त्रण एवं निर्देशन में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन, मतदाता सूची की तैयारी तथा लोकसभा/विधानसभा/विधान परिषद के निर्वाचनों से सम्बंधित कार्यों का सम्पादन करता है।
(ii)	अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्त्तव्य–	निर्वाचन सम्बंधी सभी शक्तियां भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश–लखनऊ में निहित हैं। भारत निर्वाचन आयोग/मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्यों का अनुश्रवण किया जाता है।
(iii)	निर्णय लेने में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया जिसके अन्तर्गत पर्यवेक्षण एवं जवाबदेही के स्त्रोत भी सम्मिलित हैं–	भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश–लखनऊ द्वारा प्रख्यापित अधिनियमों/नियमों तथा अनुदेशों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अन्तर्गत जनपद स्तर पर जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी पदाभिहित हैं जिला निर्वाचन अधिकारी के अधीन कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों के द्वारा निर्वाचन से सम्बंधित विभिन्न कार्यक्रमों/कार्यों का सम्पादन नियत अवधि में किया जाता है।
(vi)	कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वंय द्वारा स्थापित मापमान–	मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश–लखनऊ के निर्देशों के अधीन जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्य आवंटित किया जाता है। अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी आवंटित कार्य को समयबद्ध रूप से ससमय निस्तारित करते हैं।
(v)	अपने द्वारा या अपने नियन्त्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किये गये नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख–	भारत निर्वाचन आयोग की निर्वाचन विधि निर्देशिका एवं समय–समय पर प्राप्त निर्देशों के अनुरूप निर्वाचन सम्बंधी कार्यों को समयबद्ध तरीके से निस्तारित किया जाता है।
(vi)	ऐसे दस्तावेजों के, जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन हैं, प्रवर्गों का विवरण–	भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचन विधि निर्देशिका आदि, जिनका विवरण भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइड www.eci.gov.in पर उपलब्ध है।
(vii)	किसी व्यवस्था की विशिष्टियां जो उसकी नीति की संरचना या नीति उसके कार्यान्वयन के सम्बंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिये या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिये विद्यमान हैं–	भारत निर्वाचन आयोग/मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश–लखनऊ के दिशा निर्देशों के अन्तर्गत तैयारी की जाने वाली निर्वाचन नामावलियों तथा मतदाता फोटो पहचान–पत्र तथा निर्वाचनों के कार्य में पूर्ण पारदर्शिता है और इसमें जन प्रतिनिधियों/राजनैतिक दलों एवं जनसामान्य का सहयोग लिया जाता है।
(viii)	ऐसे बोर्डो परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके भागरूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिये गठन किया जाता है और इस बारे में कि क्या इन बोर्डों, परिषदों, समितियों, और अन्य निकायों की बैठकें जनता के	– शून्य –

Scanned by CamScanner

	लिये खुली होगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होगी, विवरण–	
(ix)	अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका	अधिकारी/कर्मचारी का विवरण निम्नानुसार हैः– 1– श्री अनिल कुमार सिंह, (प्रधान सहायक) सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, (अतिरिक्त प्रभार) 2– श्री फैजान जैदी, (वरिष्ठ सहायक) 3– श्री खालिद अहमद, (वरिष्ठ सहायक) 4– श्री रविन्द्र कुमार, (कनिष्ठ सहायक) 5– श्री कपिल कुमार, (कनिष्ठ सहायक) 6– श्री जाहिद हुसैन, (चौकीदार)
(x)	प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक जिसमें उसके विनियमों के यथा उपबंधित प्रतिकर की प्रणाली सम्मिलित हो–(माह जून, 2019)	1– श्री अनिल कुमार सिंह, (प्र0सहायक)– रू0 64,122.00 2– श्री फैजान जैदी, (वरिष्ठ सहायक)– रू0 46,254.00 3– श्री खालिद अहमद, (वरिष्ठ सहायक)– रू0 40,953.00 4– श्री रविन्द्र कुमार, (कनिष्ठ सहायक)– रू0 37,488.00 5– श्री कपिल कुमार, (कनिष्ठ सहायक)– रू0 24,687.00 6– श्री जाहिद हुसैन, (चौकीदार)– 38,506.00
(xi)	सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किये गये संवितरणों पर रिपोर्ट की विशिष्टियां उपदर्शित करते हुए प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट–	मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश–लखनऊ द्वारा निर्वाचक नामावलियों की तैयारी, छपाई, मतदाता फोटो पहचान पत्र और समय–समय पर सम्पादित होने वाले निर्वाचनों से सम्बंधित व्यय बीजकों के भुगतान हेतु धनावंटन प्रदत्त किया जाता है।
(xii)	सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित हैं–	इस विभाग द्वारा किसी सामाजिक कार्यकलाप का कार्यान्वियन नहीं किया जाता है।
(xiii)	सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित हैं–	– शून्य –
(xiv)	किसी इलेक्ट्रानिक रूप में सूचना के सम्बंध में ब्यौरे, जो उसको उपलब्ध हों या उसके द्वारा निर्धारित हों–	भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइड www.eci.gov.in तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश–लखनऊ की वेबसाइड www.ceouttarpardesh.nic.in पर उपलब्ध है।
(xv)	सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां, जिनके अन्तर्गत किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित है तो कार्यकरण घंटे सम्मिलित हैं–	कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी, मुजफ्फरनगर (सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी/जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रातः 10–00 बजे से सायं 05–00 बजे तक)
(xvi)	लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियां–	लोक सूचना अधिकारी का नाम, श्री अनिल कुमार सिंह, प्रधान सहायक, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, (अतिरिक्त प्रभार) (9454418079) हैं तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी, जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी, मुजफ्फरनगर हैं (0131–2433023)। कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी से सूचना प्राप्त करने हेतु जन सूचना अधिकारी सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, मुजफ्फरनगर को संदेय समुचित प्राप्ति के बदले नकद स्वरूप द्वारा या डिमाण्ड ड्राफट या बैंकर चैक द्वारा या भारतीय

Scanned by CamScanner

		पोस्टल आर्डर द्वारा आवेदन शुल्क संलग्न कर, वांछित सूचना प्राप्त करने हेतु पत्राचार/सम्पर्क जनसामान्य द्वारा किया जा सकता है।
(xvii)	ऐसी अन्य सूचनाऐं जो विहित की जायें–	मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश–लखनऊ द्वारा ऐसी अन्य सूचनाओं के विहित किये जाने के उपरान्त उसे यथा समय अपडेट की जाती हैं।

दिनांक– 07.11.2020

सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी,
मुजफ्फरनगर।

Scanned by CamScanner